4/5/05

फरियादी प्रार्थी/वादी ने उपस्थित वकील श्री लक्ष्मणसिंह के विद्वान तर्कों के अवलोकन पर प्रकट हुई) आवेदन पत्र पर निवेदन किया है कि पक्षकारान के मध्य वादी राजीनामा हो चुका है वाद आगे चलाना नहीं चाहते है वाद डिक्री कराया जावे। वादी प्रार्थी व उपस्थित वकील वादी श्री लक्ष्मणसिंह के अलावा इस वाद के अन्य तरफ वकील प्रतिवादी ने मतभिन्न व्यक्त की गई है। अतः प्रार्थी/वादी के निवेदन पर वाद वादी डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है। निराकरण फैसला शुमार है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाराम्मगढ़